

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक,

सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सदर अस्पताल/ईटकी आरोग्यशाला, इटकी/जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राँची/संक्रामक रोग अस्पताल, राँची।

सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।

(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

राँची/दिनांक: 08/06/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 110-अस्पताल और औषधालय A3-मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल हेतु ₹ 67,37,52,000/- (सड़सठ करोड़ सैतीस लाख बावन हजार) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन विवरणी में अंकित कार्यालय को व्यय हेतु Online आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी	110-अस्पताल और औषधालय A3-मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल	₹ 67,37,52,000/- (सड़सठ करोड़ सैतीस लाख बावन हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक/उपाधीक्षक/संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0आर0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

11. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

12. दवा क्रय हेतु निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गए दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी अधीक्षक/सिविल सर्जन/उपाधीक्षक दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन-चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2027 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

13. इस राशि से दवा क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

14. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसे दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसे परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

22 (7) B
08/06/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव


15. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के दवाओं की आवश्यकता अन्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों से भिन्न है। अतः चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों द्वारा दवा क्रय से पूर्व जे0एम0एच0आई0डी0पी0सी0एल0 (निगम) से दवाओं के उपलब्धता की स्थिति तथा क्रय किये जाने वाले दवाओं पर सहमति प्राप्त कर ली जाय।

16. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी है, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/ आकस्मिकता को अंकित किया जाए।


17. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. विभागीय पत्रांक - 20(7) दिनांक 15.04.2025 के आलोक में स्थापना व्यय बजट अन्तर्गत सभी अवर प्रमण्डलीय अस्पतालों के लिए आवंटित राशि को उनके प्रभारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।


विश्वासभाजन


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-01/2025 22(7)B /स्वा0,राँची,दिनांक- 08/06/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-01/2025 22(7)B /स्वा0,राँची,दिनांक- 08/06/2026
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-01/2025 22(7)B /स्वा0,राँची,दिनांक- 08/06/2026
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	छुट्टी यात्रा रियायत	0	300000	300000
2	देशीय यात्रा व्यय	0	1420000	1420000
3	कार्यालय व्यय	2500000	21020000	23520000
4	किराया, दर, कर	0	14800000	14800000
5	कार्यालय उपकरण	5000000	24410000	29410000
6	आपूर्ति एवं सामग्री	6000000	165375000	171375000
7	दूरभाष	0	813000	813000
8	वर्दी	0	3439000	3439000
9	चिकित्सकीय आपूर्ति	25000000	333800000	358800000
10	विद्युत व्यय	0	55250000	55250000
11	रख-रखाव एवं मरम्मति	0	20000000	20000000
12	मोटर वाहन	0	1800000	1800000
13	जेनरेटर का ईंधन	0	7400000	7400000
14	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	2300000	3925000	6225000
15	छात्रवृत्ति/वजीफा	120000000	20000000	140000000
	कुल	160800000	673752000	834552000

आवंटन का सारांश

क्र०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	कुल आवंटित राशि
1	छुट्टी यात्रा रियायत	20S221001110A3000112	300000
2	देशीय यात्रा व्यय	20S221001110A3000213	1420000
3	कार्यालय व्यय	20S221001110A3000315	21020000
4	किराया, दर, कर	20S221001110A3000316	14800000
5	कार्यालय उपकरण	20S221001110A3000317	24410000
6	आपूर्ति एवं सामग्री	20S221001110A3000223	165375000
7	दूरभाष	20S221001110A3000333	813000
8	वर्दी	20S221001110A3000334	3439000
9	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S221001110A3000336	333800000
10	विद्युत व्यय	20S221001110A3000337	55250000
11	रख-रखाव एवं मरम्मति	20S221001110A3000339	20000000
12	मोटर वाहन	20S221001110A3000441	1800000
13	जेनरेटर का ईंधन	20S221001110A3000375	7400000
14	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	20S221001110A3000442	3925000
15	छात्रवृत्ति/वजीफा	20S221001110A3000650	20000000
कुल आवंटित राशि			673752000

कुल: ₹ 67,37,52,000/- (सड़सठ करोड़ सैतीस लाख बावन हजार)।

22(7)5

08/06/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	प्राथमिक इकाई	मुदती योजना रियाजत	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	निकिसवकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	रख-रखाव एवं मरम्मत	गोदर वाहन	जेनेरेटर का ईंधन	मोटरवाही ईंधन एवं मरम्मत	धनमूर्ति / वजीफा	कुल आवंटित राशि
1	पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद	0	0	2000000	1800000	500000	20000000	60000	40000	40000000	5000000	0	0	1000000	100000	0	705000000
2	एम्बुलेंस/एम्बुलेंस/टी अस्पताल, धनबाद	0	10000	50000	200000	10000	100000	8000	215000	0	200000	50000	0	0	0	0	843000
3	एम्बुलेंस/मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर	10000	50000	6000000	7000000	2500000	20000000	500000	500000	50000000	10000000	7000000	0	500000	150000	20000000	124210000
4	सदर अस्पताल बोकारो	0	0	20000	0	25000	1500000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	4045000
5	सदर अस्पताल चाईबासा	0	10000	100000	0	500000	2000000	0	30000	4000000	1000000	0	0	250000	100000	0	7990000
6	सदर अस्पताल बरवा	0	0	50000	0	50000	800000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	34000000
7	सदर अस्पताल देवघर	0	0	1000000	0	1500000	4000000	0	50000	10000000	2500000	0	0	750000	500000	0	20300000
8	सदर अस्पताल धनबाद	2000	15000	1000000	0	300000	1000000	20000	10000	2500000	1000000	0	0	50000	50000	0	5137000
9	सदर अस्पताल गढ़वा	0	500000	500000	0	200000	1500000	0	25000	2500000	500000	0	0	500000	100000	0	6325000
10	सदर अस्पताल गिरिडीह	0	0	100000	0	200000	1000000	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	6300000
11	सदर अस्पताल गोड्डा	0	0	50000	0	100000	1500000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	4150000
12	सदर अस्पताल गुल्मी	0	0	0	0	500000	4000000	0	0	5000000	0	0	0	0	200000	0	9700000
13	सदर अस्पताल जमशेदपुर	50000	50000	500000	0	1000000	15000000	0	0	20000000	5000000	0	0	50000	50000	0	41700000
14	सदर अस्पताल जामताड़ा	0	0	150000	0	200000	2000000	0	0	3500000	0	0	0	0	0	0	5850000
15	सदर अस्पताल झूँडी	0	0	100000	900000	2000000	6000000	15000	55000	10000000	1000000	5000000	0	250000	100000	0	25420000
16	सदर अस्पताल कोडरमा	0	0	150000	0	100000	1000000	0	0	6000000	0	0	0	0	0	0	7250000
17	सदर अस्पताल लोहरदगा	0	0	50000	0	100000	2500000	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	7650000
18	सदर अस्पताल लोहरदगा	0	0	50000	150000	0	1500000	0	75000	2500000	0	0	0	0	50000	0	4325000
19	सदर अस्पताल पाकुड़	0	0	50000	0	200000	1500000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	4750000
20	सदर अस्पताल रामगढ़	0	0	50000	0	25000	1000000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	3575000
21	सदर अस्पताल राँची	0	0	1000000	0	1000000	20000000	10000	30000	10000000	1000000	0	0	1000000	500000	0	65000000
22	सदर अस्पताल राँची	0	0	50000	0	0	500000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	172500
23	जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राँची	70000	0	50000	0	0	2000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	5250000
24	सदर अस्पताल साहेबगंज	0	0	200000	0	50000	2000000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	4400000
25	सदर अस्पताल सरयकेला	0	0	200000	0	200000	1500000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	4000000
26	सदर अस्पताल सिमडेगा	0	0	50000	0	0	2000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	3050000
27	अवर प्रमांडलीय अस्पताल बोकारो	0	0	50000	0	0	1000000	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	2550000
28	अवर प्रमांडलीय अस्पताल चाईबासा	0	100000	100000	0	500000	1000000	0	10000	2500000	500000	0	0	200000	200000	0	5110000
29	अवर प्रमांडलीय अस्पताल देवघर	0	0	150000	0	400000	1000000	0	30000	3000000	500000	0	0	0	75000	0	5155000
30	अवर प्रमांडलीय अस्पताल गढ़वा	0	115000	100000	0	200000	1000000	0	6250	2500000	200000	0	0	50000	50000	0	4221250
31	अवर प्रमांडलीय अस्पताल हजारीबाग	0	0	200000	0	0	3000000	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0	4500000
32	अवर प्रमांडलीय अस्पताल जमशेदपुर	0	0	100000	0	200000	1000000	0	31250	1500000	250000	0	0	0	50000	0	3131250
33	अवर प्रमांडलीय अस्पताल पलामू	0	100000	400000	600000	2000000	2000000	0	31500	7000000	500000	0	300000	300000	500000	0	13731500
34	अवर प्रमांडलीय अस्पताल राँची	0	0	50000	0	0	500000	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1550000
35	अवर प्रमांडलीय अस्पताल साहेबगंज	0	50000	100000	250000	200000	500000	0	42500	2000000	500000	0	0	0	50000	0	3692500
36	अवर प्रमांडलीय अस्पताल सरयकेला	0	0	100000	0	100000	1000000	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	2700000
37	इटकी सैनेटोरियम	0	0	100000	0	50000	1500000	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	2450000
38	पलामू मेडिकल अस्पताल	168000	200000	400000	2000000	6000000	20000000	100000	500000	50000000	2500000	6000000	500000	1000000	500000	0	93468000
39	दुमका मेडिकल अस्पताल	0	20000	100000	1000000	1500000	7000000	0	65000	25000000	1500000	950000	500000	500000	100000	0	39135000
40	हजारीबाग मेडिकल अस्पताल	0	200000	1000000	900000	2000000	15000000	100000	100000	25000000	2500000	1000000	500000	1000000	500000	0	49800000
		300000	1420000	21020000	14800000	24410000	165375000	813000	3439000	333880000	55250000	20000000	1800000	7400000	3925000	20000000	673752000

22 (न) ब
08/06/2026

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

